प्रपत्र : 1 कुल पृष्ठ – 5

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला, चौकी, एसीबी, अजमेर ..... थाना.सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष .. 2023.....
प्र. इ. रि. स. 265/23 दिनांक 5/10/2023

2. (अ) अधिनियम ... भ्र0 नि0 अधिनियम 1988 .....धारायें...7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधन 2018) अधिनियम 1988 .....
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें. ....
(स) अधिनियम .....धारायें.....
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....87.....समय..... 7:20 pm .....
(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 04.10.2023.... समय 07.00 पीएम .....
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 03.10.2023 समय.....01.00 पीएम.....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दिशा दक्षिण 3 किलोमीटर .....
(ब) पता – पुलिस चौकी नाका मदार, अजमेर बीट सख्या ..... जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6 परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... श्री विष्णु मौर्य .....
(ब) पिता का नाम श्री मोती लाल मौर्य .....
(स) जन्म तिथि /वर्ष 31 साल.....
(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी..... जारी होने की जगह.....
(र) व्यवसाय..... पत्रकार .....
(ल) पता मलुसर बावडी, हंस विद्या मंदिर स्कूल के पास, पहाड़गंज, अजमेर.....

7 ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
श्री विजेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री देवपाल मीना उम्र 47 साल जाति मीना निवासी गांव सुनारी पुलिस थाना राजगढ़ जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर

8 परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) .....7,000रू0 रिश्वत राशि.....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)..... 7,000रू0 रिश्वत राशि .....
11 विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अजमेर। विषय :– रिश्वत मांगने की शिकायत बाबत्। महोदय, निवेदन है कि प्रार्थी विष्णु मौर्य पुत्र श्री मोती लाल मौर्य निवासी मलुसर बावड़ी हंस विद्या मंदिर स्कूल के पास, पहाड़गंज, अजमेर का सादर निवेदन है कि मेरे मामा ससुर पप्पु पुत्र श्री मिठु निवासी कलयाणीपुरा अजमेर का पुत्र सुनिल जाटोलिया एक नाबालिग लड़की निवासी कल्याणीपुरा, अजमेर को लेकर फरार हो गया है, जिसकी जानकारी मेरे मामा ससुर को नही थी कि सुनिल लड़की को लेकर कहा गया है, इस घटना के संबंध में पुलिस थाना अलवरगेट पर लड़की वालो की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया गया हें। नाका मदार पुलिस चौकी, पुलिस थाना अलवरगेट से विजेन्द्र मीणा मेरे मामा ससुर पप्पु व उनके परिवार वालो को लगातार तंग कर रहा हैं। दिनांक 22.09.23 को विजेन्द्र मीणा द्वारा श्री पप्पु को पुलिस चौकी नाका मदार पर बुलाया तो मैं श्री पप्पु जी के साथ पुलिस चौकी नाका मदार गये। विजेन्द्र मीणा द्वारा हमसे 15000 रूपये की रिश्वत मांगी गई और कहा कि पैसे दो नही तो पप्पु को बंद कर दुंगा। हमने उसे 15000 रूपये नही दिये ता विजेन्द्र मीणा ने पप्पु जी को धारा 151 सीआरपीसी में बंद कर दिया। अगले दिन एसडीएम कोर्ट से पप्पु जी की जमानत करवाई। इससे पहले लड़की के घरवालो द्वारा घर आकर मारपीट की गई, जिसमें पप्पु, पप्पु की पत्नी कमला व उसकी बेटी लक्ष्मी के साथ लज्जा भंग की गई, जिसका प्रकरण कोर्ट मार्फत दर्ज करवाया गया, जिसका अनुसंधान भी विजेन्द्र मीणा ही कर रहा हैं। दिनांक 02.10.2023 को विजेन्द मीणा ने पप्पूजी को पुलिस चौकी नाका मदार बुलाया मैं भी पप्पुजी के साथ गया, वहां पर पहले तो विजेन्द्र मीणा ने कहा कि लड़की वाले केस मे जो आपने कोर्ट से करवाया है में उसमें आपकी मदद करूंगा इसके लिए आप मुझे 15000 रूपये दे दो, और अगर नही दिये तो पछताओगे मैं तुम्हे

परेशान करूंगा। पप्पु जी पढे लिखे नही है तथा मैं पेशे से पत्रकार हूँ और लॉ स्टूडेंट हूँ मे कोर्ट में प्रेक्टिस कर रहा हूँ तथा कानून की जानकारी मुझे है, जिसकी वजह से विजेन्द्र मीणा मुझसे रिश्वत की मांग कर रहा हैं। हम विजेन्द्र मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस चौकी नाका मदार को रिश्वत नही देना चाहते हैं। अतः कानुनी कार्यवाही के आदेश फरमावें। अजमेर दिनांक 03.10.2023 प्रार्थी विष्णु मौर्य पता मलुसर बावड़ी स्कूल के पास, अजमेर मो. नं. 9251577792

कार्यवाही पुलिस एसीबी अजमेर

समय : 01.00 पीएम दिनांक : 03.10.2023

उक्त लिखित रिपोर्ट परिवादी श्री विष्णु मौर्य पुत्र श्री मोती लाल मौर्य उम्र 31 साल जाति रेगर निवासी मलुसर रोड़, मौर्य भवन, हंस विद्या मंदिर, विधालय के पास, पहाड़गंज, अजमेर मय सह–परिवादी श्री पप्पू पुत्र श्री मिठ्ठू जाति रेगर उम्र 48 साल निवासी रेगर मोहल्ला, कल्याणीपुरा, अजमेर के उपस्थित कार्यालय होकर श्री अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसीबी अजमेर के समक्ष पेश की। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक दीनदयाल वैष्णव को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी श्री विष्णु मौर्य एवं सह–परिवादी श्री पप्पू से आपस में परिचय करवाया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये। मन् निरीक्षक पुलिस परिवादीगण को साथ लेकर अपने कक्ष में आया तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "श्री पप्पूजी मेरे मामा ससुरजी है तथा पढे लिखे नही है तथा मैं पेशे से पत्रकार हूँ तथा मेरा कोर्ट मे आना जाना है, इसलिए श्री विजेन्द्र मीणा मेरा विश्वास कर रहे है तथा मेरे से ही रिश्वत की बात कर रहे हैं। श्री विजेन्द्र मीणा मेरे मामा ससुर को उसके लड़के के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परेशान कर रहा है तथा रिश्वत नही देने पर 151 सीआरपीसी में बंद भी कर दिया था। परिवादी से दोनो प्रकरणो की प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में पूछा तो बताया कि हमारे पास प्रथम सूचना रिपोर्ट की कॉपी नही हैं ना ही हमे उक्त दोनो प्रकरणो के नम्बर याद हैं। चूंकि श्री विजेन्द्र मीणा एएसआई मेरे से ही रिश्वत की बात करेगा, इसलिए मै ही रिश्वत के संबंध मे बातचित करूंगा। पप्पू जी कार्यवाही मे मेरे साथ ही रहेंगे।" उपस्थित श्री पप्पूराम ने परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के संबंध में सहमति दी। परिवादीगण ने पूछने पर बताया कि श्री विजेन्द्र मीणा एएसआई से हमारी कोई रंजिश नही है व ना ही उधार का कोई लेन–देन हैं। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया जाने पर परिवादी व सह–परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में समझाईस की गई, जिस पर परिवादी ने बताया अभी चौकी पर जाकर पप्पूरामजी व उनकी पत्नी के साथ हुई घटना के कम में मोबाईल पर रिकार्ड की सीडी विजेन्द्र मीणा एएसआई को देनी है, इसी दौरान में उससे रिश्वत के संबंध में बात कर लूंगा। कार्यालय की अलमारी से वॉयस रिकार्डर निकलवाकर प्राप्त किया। श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को तलब कर परिवादीगण से परिचय करवाकर डिजिटल वॉयस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री विष्णु मौर्य को ऑपरेट करने की समझाईस की गई। परिवादीगण ने बताया कि हो सकता है अभी श्री विजेन्द्र सिंह को कुछ रूपये देने पड़ेंगे नही तो उसको शक हो जायेगा। इस पर परिवादी ने अपने पास से 500 के दस नोट कुल 5000 रूपये होना बताकर पेश किये, जिनके नम्बर रनिंग नोट में अंकित कर नोट पुनः परिवादी श्री विष्णु मौर्य को सुपुर्द किये गये। परिवादी श्री विष्णु मौर्य, श्री पप्पुराम व श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को को मय वॉयस रिकार्डर परिवादी एवं कानि0 की मोटर साईकिल से वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन रवाना किया, जिन्होने उपस्थित होकर बताया कि भीड़ भाड होने के कारण श्री विजेन्द्र मीणा से रिश्वत के संबंध में वार्ता नही की और मेरे मामा ससुर द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण में मारपीट की सीडी लाने हेतु कहा हैं। तत्पश्चात् पुनः परिवादी श्री विष्णु मौर्य व सहपरिवादी श्री पप्पुराम एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को मय वॉयस रिकार्डर अपनी अपनी मोटर साईकिल से वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन रवाना चौकी नाका मदार की ओर किया गया। परिवादीगण एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 उपस्थित आये तथा परिवादी श्री विष्णु मौर्य ने बताया कि मैं, श्री पप्पुराम चौकी में जाकर श्री विजेन्द्र मीना एएसआई से मिले तो उन्होने 15,000 रूपये रिश्वत की मांग की,

जिसको मैने 5000 रूपये दिये तथा शेष राशि दिनांक 04.10.23 को देने हेतु कहा। परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 04.10.23 को सुबह 08.30 बजे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया तथा वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया।

दिनांक 04.10.2023 समय 09.15 एएम पर परिवादी श्री विष्णु मौर्य उपस्थित आया तथा बताया कि अभी पैसो की व्यवस्था नही हुई है तथा श्री विजेन्द्र सिंह ने मुझे पुलिस चौकी नाका मदार समय 09.30 एएम पर बुलाया है इस पर परिवादी के मोबाईल से श्री विजेन्द्र मीना सउनि के मोबाईल पर वार्ता करवायी तो श्री विजेन्द्र मीना ने परिवादी को कोर्ट ही बुलाया। परिवादी श्री विष्णु मौर्य एवं श्री रविन्द्र सिंह कानि0 मय वॉयस रिकार्डर के सेशन कोर्ट, अजमेर के लिए रवाना किया। परिवादी एवं कानि0 उपस्थित आये तथा परिवादी विष्णु मौर्य ने बताया कि मैने श्री विजेन्द्र मीना से मेरे मामा ससुर से संबन्धित प्रकरणो के संबंध मे वार्ता कर 7,000 रूपये ही देने हेतु तय किया हैं। जिस पर तहसील कार्यालय, अजमेर से दो स्वतन्त्र गवाह श्री रामभरोसे पटवारी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार कच्छावा पटवारी को तलब किया तथा परिवादीगण एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की दो डीवीडी तैयार की गई एवं मूल मेमोरी कार्ड को सील्ड चिट कर मार्क अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् परिवादी श्री विष्णु मौर्य ने दोनो स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति मे 500–500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये पेश किये, जिन पर श्री चतुर्भुज सैन वरिष्ठ सहायक से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री विष्णु मौर्य की की पहनी हुई पेंट की दाहिनी जेब मे कुछ भी शेष नही छोडते हुए पाउडरयुक्त नोट रखवाये गये। परिवादी एवं स्वतन्त्र गवाहान को फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रकिया को दृष्टांत देकर समझाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। वॉयस रिकार्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को सुपुर्द किया तथा परिवादी श्री विष्णु मौर्य एवं सहपरिवादी श्री पप्पूराम को स्वयम् की मोटर साईकिल से, श्री रविन्द्र सिंह कानि0 एवं श्री किरण कुमार कनिष्ठ सहायक की मोटर साईकिल से मन् निरीक्षक पुलिस दीनदयाल वैष्णव मय श्री गोविन्द शर्मा कानि0, मय स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री रामभरौसे के प्राईवेट कार से एवं श्री युवराज सिंह सउनि, श्री कैलाश चारण हैड़ कानि0, श्रीमती रूचि उपाध्याय म.कानि0, प्राईवेट कार से पुलिस चौकी नाका मदार के पास पहुॅचे तथा श्री रविन्द्र सिंह कानि0 ने परिवादी श्री विष्णु मौर्य को वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को पुलिस चौकी नाका मदार के लिए रवाना किया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के चौकी के आस–पास अपनी–अपनी उपस्थित छीपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुए।

समय 07.00 पीएम पर परिवादी श्री विष्णु मौर्य ने पुलिस चौकी नाका मदार के गेट पर खडे होकर मेरे पास ही खडे श्री रविन्द्र सिंह कानि0 को फोन कर रिश्वत राशि लेन–देन का निर्धारित ईशारा किया, जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाह एवं हमराही एसीबी स्टॉफ के परिवादी के पास पहुॅचा तथा परिवादी से वॉयस रिकार्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने सामने स्थित कार्यालय पुलिस चौकी नाका मदार अजमेर की और ईशारा कर बताया कि श्री विजेन्द्र मीना उक्त कमरे मे बेठा है, जिसने मेरे से अभी सात हजार रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में रख लिये है। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवादी को हमराह लेकर सामने स्थित कार्यालय चौकी नाका मदार में प्रवेश किया तो सामने एक व्यक्ति सहायक उप निरीक्षक पुलिस की वर्दी में खड़ा मिला। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर उसका परिचय प्राप्त किया। इसी दौरान परिवादी ने बताया कि यही विजेन्द्र मीना एएसआई है, जिसने अभी मेरे से 7,000 रूपये अपने हाथो मे लिये, मैने इनको गिनने के लिए कहा लेकिन इन्होने गिना नही और अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की जेब में रख लिये। जिसको परिवादी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो श्री विजेन्द्र सिंह मीना निरूत्तर

हो गया। जिसको पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि मैने इससे रिश्वत नही मांगी, इसने अपनी मर्जी से दिये, इसने कितने रूपये दिये मुझे नही पता। इस पर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के पारदर्शी गिलास निकलवाये जाकर पास ही पडे कैम्पर मे से दोनो गिलासो मे पानी भरकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर श्री विजेन्द्र सिंह मीना के दाहिने व बांये हाथ की अगुंलियो एवं अंगुठे को बारी–बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने हाथ का धोवण का रंग हल्का गुलाबी एवं बांये हाथ के धोवण का रंग मटमेला हो गया, जिसे चार अलग अलग शीशीयो में भरकर सील्ड चिट कर मार्क दाहिने हाथ के धोवण को मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, बांये हाथ के धोवण की शीशीयो को मार्क एल.एल.–1, एल.एच.–2 अंकित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से परिवादी की निशादेही से श्री विजेन्द्र सिंह की पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब की तलाशी लिवायी गई तो 500–500 रूपये के कुछ नोट निकले। जिनका पूर्व में तैयार की गई फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान को मिलान कर गिनने की कहने पर दोनो गवाहान ने नोटो के नम्बरो का मिलान हुबहु होना तथा 500–500 रूपये के 14 नोट कुल 7,000 रूपये होना बताया गया। जिन्है एक कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् श्री विजेन्द्र सिंह मीना को दिनांक 03.10.23 को वक्त सत्यापन परिवादी श्री विष्णु मौर्य से प्राप्त 5000 रूपये के संबंध में पूछा तो श्री विजेन्द्र सिंह ने बताया मेरी वर्दी के शर्ट की उपर की जेब मे रखे हुए है, जो आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह की निशादेही श्री सुरेन्द्र कुमार से आरोपी की शर्ट की उपर की जेब से निकलवाये गये तो 500–500 के 10 नोट कुल 5000 होना बताया, जिनका मिलान पूर्व में तैयार रनिंग नोट से करवाया गया तो मिलान हूबहू होना बताया, जिनको भी एक कागज के लिफाफे में रखकर सील्ड कर मार्क एन–1 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् आरोपी की तलाशी गवाह श्री सुरेन्द्र कुमार से लिवायी गई तो तलाशी में मोबाईल फोन वीवो कम्पनी तथा 23,120 रूपये नगद मिले, जिनके संबंध में पूछा तो बताया कि ये मेरी बचत की राशि है, जो मेरे बच्चो की स्कूल फीस इत्यादि के लिए रखे हुए। इस पर उक्त राशि 23,120 रूपये एवं मोबाईल आरोपी को पुनः लौटाये गये। आरोपी की वर्दी की पेंट खुलवाकर बैरिक में रखी आरोपी की पेंट मंगवाकर आरोपी को पहनवाया गया। ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक का पारदर्शी गिलास निकलवाया उपरोक्तानुसार सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर वर्दी की पेंट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटवाकर सोडियम कोर्बोनेट के घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो कांच की साफ शिशियो में भरकर दोनो शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त पेंट बरंग खाकी वर्दी को एक सफेद की कपड़े की थेली मे डालकर सील्ड कर मार्क पी अंकित कर संबंन्धित के हस्ताक्षर करवाये। तत्पश्चात् आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह सउनि से परिवादी से संबन्धित प्रकरणो के संबंध में पूछताछ की गई तथा श्री शंकर लाल द्वारा प्रकरण संख्या 298/23, 321/23 की पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की, जिसके प्रथम एंव अंतिम पृष्ठ पर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त समस्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह मीना सहायक उप निरीक्षक को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय गवाहान मय एसीबी स्टॉफ मय जब्तशुदा आर्टिकल के चौकी नाका मदार से रवाना होकर एसीबी कार्यालय पहुॅचे तथा एसीबी स्टॉफ आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आरोपी को पुलिस थाना सिविल लाईन की हवालात में जमा करवाकर उपस्थित आये। दिनांक 05.10.23 को रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तैयार की जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये

गये तथा दो डीवीडी तैयार की जाकर अलग–अलग कागज के लिफाफे मे रखी गई एवं मूल मैमोरी कार्ड को उसके कवर में रखकर उसको एक सफेद कपडे की थेली मे रखकर सिल्ड चिट किया जाकर मार्क **"एम–1"** अंकित किया जाकर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाये। फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मुर्तिब किया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह मीना द्वारा परिवादी के मामा ससुर द्वारा दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 321/23 में मदद करने एवं सह–परिवादी श्री पप्पूराम के पुत्र द्वारा लड़की को भगाकर ले जाने के संबंध में पुलिस थाना अलवरगेट पर दर्ज प्रकरण संख्या 298/23 में पप्पूराम पर दबाव डालकर उसके विरूद्ध कार्यवाही नही करने की एवज में वक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन दिनांक 03.10.23 को 15000 रूपये की मांग कर 5000 रूपये प्राप्त करना एवं शेष राशि दिनांक 04.10.23 को लेना तय की तथा दिनांक 04.10.23 को 7000 रूपये लेने पर सहमत होकर दिनांक 04.10.23 को दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री विष्णु मौर्य से 7000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब मे रखना, जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह मीना सउनि द्वारा दिनांक 03.10.23 को वक्त सत्यापन परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 5000 रूपये भी बरामद होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह मीना सउनि का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधन 2018) 1988 का कारित करना पाया जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा मे सादर प्रेषित हैं।

(दीनदयाल वैष्णव)
निरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
अजमेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री दीनदयाल वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 384 भादंसं में आरोपी श्री विजेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री देवपाल मीना, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, प्रभारी पुलिस चौकी नाका मदार, पुलिस थाना अलवरगेट, अजमेर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 265/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

5.10.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2892-95 दिनांक 05.10.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला अजमेर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।

5.10.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।